भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष /Phone : 0141-2708078, 2707461, 2707090
ई-मेल/E-mail : dco-raj.rgi@gov.in

भारत की जनगणना 2027 - परिपत्र संख्या - 5

विषयः जनगणना 2027 के विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमोदित मानदंड ।

भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 के आयोजन को अनुमोदित किया गया है। भारत की जनगणना 2027 का आयोजन दो चरणों में किया जायेगा (i) मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO)- अप्रैल से सितम्बर 2026 तक और (ii) जनसंख्या गणना (PE) - फरवरी 2027 (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों लिए, जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी)। भारत की जनगणना 2027 में आंकड़ों के संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। जनगणना 2027 के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय मानदंडों का विवरण प्रत्येक कार्य मद के अनुसार आगे के अनुच्छेदों में दिया गया है।

2. जनगणना पदाधिकारियों को मानदेय :

2.1 सभी जनगणना कर्मियों की नियुक्ति जनगणना अधिनियम , 1948 और समय-समय पर संशोधित जनगणना नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जानी है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिनांक 22.12.2025 को निदेशालय द्वारा जनगणना परिपत्र संख्या 3 के माध्यम से पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जनगणना कर्मियों को मानदेय का भुगतान, आवंटित जनगणना कार्य के सफल समापन के बाद किया जाएगा।

2.2 विभिन्न स्तरों के जनगणना पदाधिकारियों के लिए मानदेय की राशि निम्नानुसार है:

(क) प्रगणक और पर्यवेक्षक

क्र.सं.	चरण	राशि (रूपये में)
1	चरण-I : मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO)	₹9,000
2	चरण-II : जनसंख्या गणना (PE)	₹16,000
कुल मानदेय		₹25,000

जनगणना संबंधित आँकडा संग्रह और अन्य कार्यों के लिए प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने स्वयं के मोबाइल उपकरण का उपयोग करेंगे। इसके अलावा, आवंटित गणना ब्लॉक (ओ) के दौरे के लिए अलग से कोई TA/DA आदि प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ब) अन्य जनगणना पदाधिकारी

क्र.सं.	संवर्ग	राशि (रूपये में)		
		प्रथम चरण HLO	द्वितीय चरण PE	कुल
1	राज्य नोडल अधिकारी (राज्य समन्वयक)	₹30,000	₹45,000	₹75,000
2	राज्य स्तर के अन्य अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य में अधिकतम पाँच)	₹12,000	₹18,000	₹30,000
3	सभागीय आयुक्त/ प्रमुख जनगणना अधिकारी /अतिरिक्त प्रमुख जनगणना अधिकारी (जहाँ उपलब्ध हो)	₹25,000	₹35,000	₹60,000
4	जिला जनगणना अधिकारी, उप जिला जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी - NIC/ DO&IT और जिले में अन्य जनगणना अधिकारी/ कर्मचारी (प्रत्येक जिले से अधिकतम आठ)	₹20,000	₹25,000	₹45,000
5	उपखड अधिकारी/चार्ज अधिकारी/अतिरिक्त चार्ज अधिकारी	₹20,000	₹25,000	₹45,000
6	चार्ज कार्यालय में जनगणना लिपिक (प्रत्येक चार्ज कार्यालय में 1)	₹12,000	₹18,000	₹30,000

2.3 जनगणना कर्मियों को मानदेय, प्रत्येक चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने पर दिया जाएगा। चार्ज अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा/ करेगी कि उसके/ उसकी चार्ज के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को मानदेय भुगतान कर दिया गया है। राज्य नोडल अधिकारी अन्य जनगणना कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करेंगे/करेंगी।

3. राज्य/जिला प्रशासन को तकनीकी सहायता:

3.1 भारत की जनगणना 2027, मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आँकड़ों का संग्रह, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल का उपयोग, मकानसूची ब्लॉक निर्माण (HLBC) वेब एप्लिकेशन, स्व-गणना पोर्टल आदि जैसी कई नई पहलों के प्रारंभ होने से तकनीकी रूप से गहन होगी, जिसका लक्ष्य क्षेत्र से ही डिजिटल आँकड़े प्राप्त करना है। इससे जनगणना आँकड़ों को कम से कम समय में जारी करना संभव होगा और ऑकड़ा प्रविष्टि का कार्य भी कम होगा। तदनुसार, राज्य, जिला एवं चार्ज स्तर के जनगणना अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए, राज्य, जिला एवं चार्ज स्तर पर तकनीकी कर्मियों (मैनपावर) की नियुक्ति के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय सहायता के लिए राज्य और जिला स्तर पर बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मियों की नियुक्ति जनवरी 2026 से आरम्भ होकर अधिकतम 18 महीनों की अवधि के लिए की जाएगी। इसका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रशासनिक इकाई	18 माह के लिए जन शक्ति (मैनपावर) की अनुमति
1	राज्य	4 तकनीकी सहायक, 2 एमटीएस
2	जिला	2 तकनीकी सहायक, 1 एमटीएस
3	नगर निगम*	2 तकनीकी सहायक, 1 एमटीएस
4	चार्ज	1 तकनीकी सहायक

*यह केवल उन नगर निगमों के लिए है जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

3.2 उपर्युक्त जनशक्ति की भर्ती करते समय, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि भर्ती की गई जनशक्ति, जनगणना 2027 के डिजिटल अनुप्रयोगों और अन्य संबंधित कार्यों को संभालने के लिए उपयुक्त रूप से योग्य हो।

3.3 तकनीकी सहायक के लिए अधिकतम मासिक पारिश्रमिक रुपये ₹25,000 प्रति माह और एमटीएस के लिए रुपये ₹18,000 प्रति माह होगा। इस राशि के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा इस मानव संसाधन (मैनपावर) के संबंध में कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा, जनगणना 2027 के कार्य के लिए राज्य को प्रदान की जा रही यह सहायता अधिकतम 18 महीनों के लिए है। इसके बाद, यह सहायता स्वतः समाप्त हो जाएगी और इस मद पर भारत सरकार की कोई वित्तीय या अन्य प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

3.4 इस मानव संसाधन (मैन पावर) की नियुक्ति पूरी तरह से अल्पकालिक संविदा के आधार पर होगी। नियुक्त मानव संसाधन (तकनीकी सहायक या एमटीएस) नियमितीकरण या किसी अन्य पद पर नियुक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दावे, अधिकार, हित या अतिरिक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे, जिसमें सरकार में किसी भी प्रकार की आकस्मिक, तदर्थ, अस्थायी या नियमित सेवा के लिए दावे शामिल हैं। इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआईसी आदि जैसी वैधानिक कटौतियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/जिला/चार्ज स्तरीय अधिकारियों की होगी।

3.5 यह उचित होगा कि जिला, नगर निगम और चार्ज स्तर पर मानव संसाधन (मैन पावर) की नियुक्ति प्रमुख जनगणना अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त, उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार और नगर आयुक्त, उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार) द्वारा राजस्थान राज्य सरकार के मौजूदा वित्तीय नियमों का पालन करते हुए की जाए। मानव संसाधन (मैन पावर) की नियुक्ति केवल आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही होनी चाहिए, न कि प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा। नियुक्त मानव संसाधन (मैन पावर) को सभी भुगतान आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही किए जाएं। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/ कर्मियों को भी कार्य की उपयुक्तता की शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य स्तर के लिए नोडल विभाग इसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

4. राज्य, जिला और चार्ज स्तर पर सहायता : सरकार ने राज्य, जिला और चार्ज स्तर पर जनगणना 2027 के लिए आधारभूत सुविधाओं की सहायता प्रदान करने हेतु निम्नांकित प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

4.1 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचना (IT Infrastructure):- जनगणना 2027 के लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, यूपीएस, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर टेबल, कुर्सी आदि की खरीद के लिए एकमुश्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। इन वस्तुओं की खरीद के लिए लागू वित्तीय नियमों का पालन करना आवश्यक है।

4.2 वाहन किराए पर लेने एवं POL (Petrol, Oil & Lubricant) की स्वीकृती:- राज्य सरकार/जिला प्रशासन/चार्ज अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उचित निगरानी, पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दौरे करने होंगे। तदनुसार, जनगणना अधिकारियों को गहन पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए पी.ओ.एल. (पेट्रोल, तेल, स्नेहक)/वाहन किराए पर लेने की व्यवस्था की गई है।

4.3 संचालन शुल्क (आकस्मिक व्यय/Contingency) का प्रबन्ध:- जनगणना 2027 की तैयारी, वास्तविक क्षेत्र कार्य और उसके बाद के कार्यों में कुछ विविध व्यय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्थानीय प्रचार, जनगणना सामग्री का स्थानीय परिवहन, स्टेशनरी, छपाई, फोटोकॉपी, श्रम शुल्क, पैकिंग सामग्री, डाक शुल्क, बैठक व्यय आदि। ये व्यय चार्ज अधिकारी, प्रमुख जनगणना अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं।

4.4 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पी.ओ.एल./ वाहनों के किराए पर लेने हेतु और हैंडलिंग शुल्क/ आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए उपरोक्त पैरा 4.1 से 4.3 में उल्लिखित राशि, जनगणना के चरणों - HLO और PE के लिए विभिन्न स्तरों पर नीचे संक्षेप में दी गई है:

प्रशासनिक इकाई	राशि (रुपयों में)		
	आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	पी.ओ.एल./ किराये पर वाहन लेना	हैंडलिंग शुल्क/ आकस्मिक व्यय
राज्य	₹10,00,000	₹10,00,000	₹10,00,000
जिला	₹5,00,000	₹5,00,000	₹5,00,000
नगर निगम*	₹5,00,000	₹5,00,000	₹5,00,000
चार्ज	₹1,00,000	₹1,00,000	₹1,00,000

यह राशि जनगणना 2027 के दोनों चरणों के लिए है।

*केवल उन नगर निगमों के लिए जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. प्रशिक्षण

5.1 जनगणना के सफल आयोजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलूओं में से एक है जनगणना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत विधिवत नियुक्त किये गए प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना पदाधिकारियों का प्रशिक्षण, जो कि संकलित किए जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जब मोबाइल ऐप पर ऑकड़ा संग्रह एवं संपूर्ण संचालन के वास्तविक समय प्रबंधन के लिए CMMS पोर्टल के उपयोग जैसी नई पहलों को प्रारम्भ किया जा रहा हो ।

5.2 एक संपूर्ण प्रशिक्षण श्रृंखला तैयार की गई है जिसकी शुरुआत 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षकों (NT) के प्रशिक्षण से होगी जो लगभग 2,000 मास्टर प्रशिक्षकों (MT) को प्रशिक्षित करेंगे। ये मास्टर प्रशिक्षक (MT) लगभग 44,000 फील्ड प्रशिक्षकों (FT) को प्रशिक्षित करेंगे, जो आगे चलकर लगभग 31 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों (आरक्षित कर्मियों सहित) को प्रशिक्षित करेंगे।

5.3 इस विशाल कार्य में विस्तृत व्यवस्थाएं भी शामिल होंगी जिनके लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होगी। तदनुसार, जनगणना 2027 के प्रत्येक चरण में निम्नलिखित वित्तीय मानदंडों का पालन किया जाना है:

प्रशिक्षण श्रेणी	प्रति व्यक्ति प्रति दिन की राशि (रुपये में)
राज्य एवं संभाग स्तर पर राज्य/जिला अधिकारियों का प्रशिक्षण	₹900
जिला स्तर पर जिला/चार्ज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	₹650
जिला स्तर पर तकनीकी/नियमित सहायकों का प्रशिक्षण	₹650
सामान्य क्षेत्रों में फील्ड प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	₹600
प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	₹600

टिप्पणी :

i)प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन ₹600 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन ₹200 रुपये सम्मिलित हैं। जिन प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र कार्य आवंटित किए जाने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के पश्चात भी आवंटित कार्य नहीं किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण भत्ता नहीं मिलेगा।

ii) अन्य लोगों के लिए, प्रति व्यक्ति प्रति दिन की राशि में जलपान शामिल है।

5.4 मास्टर प्रशिक्षक (MT) और फील्ड प्रशिक्षक (FT) के लिए मानदेय और यात्रा भत्ताः राज्य के मास्टर प्रशिक्षकों (MT) द्वारा फील्ड प्रशिक्षकों (FTs) को प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय ₹1,800 रुपये प्रति MT प्रति दिन निर्धारित किया गया है। यदि राज्य के मास्टर प्रशिक्षक (MT) को फील्ड

प्रशिक्षकों (FT) के दो बैचों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करनी पड़ती है, तो यात्रा व्यय के लिए अधिकतम ₹4000 रुपये का प्रावधान किया गया है। फील्ड प्रशिक्षक (FT) के मामले में, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए FT का मानदेय ₹1,000 रुपये प्रति FT प्रति दिन निर्धारित किया गया है।

5.5 इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रथम चरण HLO के लिए प्रति बैच 7,500 रुपये और द्वितीय चरण PE के लिए प्रति बैच 7,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि जिला/चार्ज प्रशासन को प्रशिक्षण के आयोजन हेतु स्थल, प्रोजेक्टर, ऑडियो सिस्टम और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं के लिए उपयोगी होगी।

6. उपरोक्त पैरा 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित मदों के लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा अनुदान के रूप में धनराशि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। तदनुसार, राज्य सरकार प्रशासन से अनुरोध है कि वे जिला प्रशासन को धनराशि के ससमय वितरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं ताकि चालू और आगामी वित्तीय वर्षों में संबंधित जिलों/उप-जिलों/तहसीलों या तालुकों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को उपरोक्त विस्तृत व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

7. प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे जनगणना कार्य के सभी व्ययों का पूर्ण विवरण रखें और प्रत्येक स्तर पर तथा राज्य के लिए समग्र रूप से ऐसे व्यय का त्रैमासिक समेकित विवरण प्रस्तुत करें, जिसे राज्य के संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

8. जनगणना संबंधी कार्य पूरी गति से चल रहे हैं, अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की त्वरित गति से अनुपालना सुनिश्चित करें ।

Digitally signed by
Bishnu Charan Mallick
Date: 08-01-2026
12:04:28
(बिष्णु चरण मल्लिक, IAS)
निदेशक

सेवा में,
प्रमुख जनगणना अधिकारी
(समस्त जिला कलक्टर एवं आयुक्त नगर निगम)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2-A मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
2. उप महारजिस्ट्रार (सी एण्ड टी), 2-A मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. शासन सचिव (आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग) एवं राज्य समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जनगणना-2027
4. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, जयपुर
5. समस्त संभागीय जनगणना अधिकारी (संभागीय आयुक्त)
6. समस्त जिला जनगणना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर)
7. समस्त उप जिला जनगणना अधिकारी (संयुक्त / उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
8. समस्त उपखण्ड जनगणना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
9. समस्त तहसील जनगणना अधिकारी (तहसीलदार)
10. समस्त नगर जनगणना अधिकारी (आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी)
11. निजी सहायक निदेशक महोदय
12. समस्त संयुक्त / उप निदेशक / सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
13. उप निदेशक (आई टी) को निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
14. गार्ड फाईल

(बिष्णु चरण मल्लिक, IAS)
निदेशक